5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल केम्प सागर संभाग सागर (म.प्र.)

निगरानी - 5484/2018/ ओर/भू.रा.

(1) रम्मू ताम्रकार उम्र 38 वर्ष वल्द स्व.जमना प्रसाद ताम्रकार

(2) श्याम सुन्दर ताम्रकार उम्र 46 वर्ष वल्द स्व.जमना प्रसाद ताम्रकार निवासी मरई माता मंदिर के पास पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

.... पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

(1) कमल किशोर खरे उम्र 70 वर्ष वल्द स्व.लक्ष्मीप्रसाद खरे निवासी ग्राम पटेरा तहसील पटेरा हटा जिला दमोह

(2) म.प्र.शासन द्वारा – कलेक्टर दमोह

..... रेस्पॉडेन्टस्

रिव्हीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण विद्वान निम्न न्यायालय राजस्व निरीक्षक पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमॉक 3अ/12 वर्ष 16–17 में मौजा पटेरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1003 रकवा 0.03 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन दिनॉक 28.1.2017 से पीड़ित होकर रिव्हीजनकर्तागण वर्तमान रिव्हीजन अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि रेस्पॉडेन्ट क्रमॉक 1 ने दिनॉक 13.1.2017 को मौजा पटेरा पटवारी हल्का नम्बर 17/29 स्थित खसरा नम्बर 1003 रकवा 0.03 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

(2) यह कि पुनरीक्षणकर्तागण को सीमांकन किये जाने के संबंध में कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं न ही उसे सीमांकन की जानकारी दी गई उक्त नाप अवैधानिक ढंग से करके सीमांकन रिपोर्ट पेश की है । जिसमें 35 कड़ी पर इस पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा दर्शाया गया है जो गलत है ।

........2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–5484/2018/दमोह/भू.रा.

रम्भू ताम्रकर व अन्य विरूद्ध कमल किशोर व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक पटेरा तहसील पटेरा, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 03/अ–12/2016–2017 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	